

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,  
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002  
amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह—द्वितीय के दल क्रमांक—04 का दौरा कार्यक्रम

**‘Horizontal Performance Audit on Health Infrastructure and Management of Health Services’**

|   |  |  |
|---|--|--|
| श्री उदय ग्वाहेलकर<br>वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी<br>MPGWB 3111338 | श्री एस.के अग्रवाल<br>सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी<br>MPGWB 3111555 | श्री जय प्रकाश<br>सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी<br>MPGWB 3111825 |
|---|--|--|

| स.क्र.                            | इकाई का नाम   | दिवस | कार्य दिवस                  |
|-----------------------------------|---|------|-----------------------------|
|                                   | प्रस्थान: ग्वालियर  |      | 21.02.2022 प्रातः           |
| 01                                | जिला आयुष अधिकारी ग्वालियर, संभागीय आयुष कार्यालय ग्वालियर, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल ग्वालियर, आयुर्वेदिक फार्मसी ग्वालियर । | 14   | 21.02.2022 से<br>11.03.2022 |
|                                   | प्रस्थान: ग्वालियर  |      | 11.03.22 सांय               |
| अवकाश – फरवरी: 26,27 मार्च: 1,5,6 |   |      |                             |

विशेष निर्देश:

1. - पी.ए. के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की होगी।
2. - प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए. के उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करे तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए. के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. - PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यो का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कापी/फोटो एंक्रित करेंगे एवं पी.ए. संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजिया, फाइलें कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
4. - PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
5. - PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
6. - Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members
7. - The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 18.02.2022)

—हस्ता—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह—द्वितीय